न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास—श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या—195 / 2026

GCMS No.- 2026/206

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		श्री कैलाश पुत्र श्री कानाराम (मालिक) कानजी होटल मेड़तासिटी तहसील मेड़ता व जिला नागौर।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित है।

निर्णय — दिनांक :— 06.05.2026

राजस्थान सरकार जरिये श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद अधिकारी कार्यालय, नागौर ने यह प्रार्थना—पत्र गैर सायल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को समपहरण (Confiscation) के आदेश दिए जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सायल आज स्वयं उपस्थित है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी का बहस में कथन है कि दिनांक 19.03.2026 को श्री रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामनिवास बेरवाल, श्री ओमेन्द्र कुमार व श्री बजरंग प्रवर्तन निरीक्षकगण कानजी होटल मेड़तासिटी पर पहुंचे। मौके पर अप्रार्थी श्री कैलाश पुत्र श्री कानाराम उपस्थित मिले, जिन्होनें स्वयं को उक्त होटल का मालिक होना जाहिर किया। मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को स्थाई चूल्हे से जोड़ा जाकर एल.पी.जी. को ईंधन के रूप में कार्य लिया जाकर खाद्य सामग्री, चाय, कॉफी का निर्माण किया जाना पाया गया। मौके पर तलाशी लेने पर उक्त होटल पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बिना उपयोग के रखे पाये गये। इस प्रकार मौके पर पाये गये उक्तानुसार कुल 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग, भण्डारण के दस्तावेज मांगे जाने पर उक्त होटल के मालिक अप्रार्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये। उक्त होटल के मालिक अप्रार्थी का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस के खाली सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया गया। उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों की तलपट्टी निम्नानुसार है :—

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

क्र. सं.	एस.आर.नम्बर	नाम कम्पनी	भरे हुए सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम में)	खाली सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम में)	शुद्ध गैस का वजन (किलोग्राम में)	विशेष विवरण
1	780269-S	IOCL	15.2	15.2	0.0	--
2	164754-T	IOCL	15.8	15.8	0.0	--

उपर्युक्त जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को मौके पर ही श्री प्रहलादसिंह पुत्र तेजसिंह निवासी रासलियावास तहसील रियांबड़ी हाल मैसर्स चारभुजा भारत गैस, गैस ऐजेन्सी के प्रतिनिधि को सुरक्षा एवं साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखने की दृष्टि से न्यायालय से निर्णय होने तक सुपुर्द किये गये।

इस प्रकार अप्रार्थी का उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

गैर सायल का कथन है कि यह घरेल गैस सिलेण्डर घरेलू उपयोग के लिए सिलेण्डर भरवाने के लिए रखे हुवे थे, जिन्हे बिना किसी कारण के रसद विभाग की टीम उठाकर ले गयी है। इसलिए निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें एवं मेरे सिलेण्डर मुझे सुपुर्द किये जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से गैर सायल द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग बिना किसी आवश्यक दस्तावेजों के किया जा रहा है। प्रकरण में प्रस्तुत फर्द पर गैर सायल स्वयं के हस्ताक्षर है। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य सही होने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है तथा गैर सायल द्वारा बिना किसी विधिक दस्तावेजों के इन गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं। प्रकरण में जब्त शुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) किया जाकर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश दिया जाता है कि जब्त शुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किया जावे तथा प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जावे। यह राशि राजकीय घोषित की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, नागौर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(देवेन्द्र कुमार)
कलक्टर नागौर
जिला कलक्टर,
नागौर